उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्याः 1 /2019 / 49 /35-1-2019 - 2/1(1)/2019
लखनऊ : दिनांकः 10 जनवरी , 2019

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्टेट्रजी- 2024 तथा तीन वर्षीय एक्शन प्लान वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 तैयार किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0), 16 गोल, 169 लक्ष्य व उनसे संबंधित इण्डीकेटर्स पर आधारित है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्टेट्रजी- 2024 तथा तीन वर्षीय एक्शन प्लान (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20) के क्रियान्वयन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन निम्नवत किया जाता है-

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	-	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयोग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
यूनीसेफ, लखनऊ के प्रतिनिधि	-	विशेष आमंत्री
डब्लू0डब्लू0एफ- इण्डिया, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	-	विशेष आमंत्री
निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग	-	विशेष आमंत्री

टास्क फोर्स का निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होगा -

1- प्रदेश में एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन की प्रगति एवं विश्लेषण की समीक्षा करना।
2- जनपद एवं निचले स्तर तक एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन के लिये सुझाव व संस्तुति देना।
3- एस0डी0जी0 की अवधारणा को निचले स्तर तक लाने के लिये कैपेसिटी बिल्डिंग एवं प्रचार-प्रसार के लिये आवश्यक कार्यवाही एवं दिशा निर्देश जारी करना।
4- प्रदेश के विकास में 16 गोलों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक धनराशि के विषय में चर्चा कर निर्णय लेना एवं तदनुसार बजटीय व्यवस्था सुनिश्चित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- एस0डी0जी0 के विभिन्न गोलों के टारगेट के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा चिन्हित इन्डीकेटर्स को प्रदेश के लिये लागू करना एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लिये इन्डीकेटर्स विकसित कर इन्हीं इन्डीकेटर्स के आधार आगे बढने के लिये डैश बोर्ड बनाकर लगातार अनुश्रवण करना।

6- प्रदेश में एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन को लोकल सेल्फ गवर्नेन्स में व जिला योजना बनाने में आवश्यक कार्यवाही करना।

7- नीति आयोग द्वारा बनाये गये इण्डिया एस0डी0जी0 इंडेक्स के आधार पर प्रदेश के लिये एस0डी0जी0 इंडेक्स तैयार करना एवं इण्डिया व प्रदेश स्तर पर हो रहे गैप को कम करने के लिये समुचित निर्देश जारी करना।

8- प्रदेश में अन्य राज्यों के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिये गैप एनालिसिस करना एवं इसकी पूर्ति करने के लिये देश-विदेश के विख्यात राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों, उद्योगपतियों व वैज्ञानिकों की व्याख्यानमाला आयोजित करना एवं उसके निष्कर्ष को विकास की मुख्यधारा में समावेशित करना।

9- विभिन्न राज्यों में हो रहे बेस्ट प्रैक्टिसेज का संकलन अपने-अपने गोलों के आधार पर आंकलित करना व प्रदेश के विकास के लिये आवश्यकतानुसार उसे समाहित करने के लिये समुचित दिशा-निर्देश जारी करना।

10-समय-समय पर सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों को प्रदेश के विजन में समाहित करना एवं वर्ष 2024 के लिये विजन को प्राप्त करने के लिये रणनीति तैयार करना।

11-प्रदेश की आवश्यकतानुसार एवं नीति आयोग द्वारा समय-समय पर एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन के संबंध में दिये गये निर्देशों को सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश जारी करना।

प्रत्येक सदस्य अपने-अपने गोलों में अपनी अध्यक्षता में अपने गोल से संबंधित मुख्य विभागों को सम्मिलित कर शासन स्तर पर इसी प्रकार की टास्क फोर्स गठित कर उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर एस0डी0जी0 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को आवश्यक सूचना एवं सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य स्तरीय एवं गोल के नोडल विभागों के स्तर पर गठित टास्क फोर्स किसी भी विशेष व्यक्ति/संस्था को कार्य की आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्री के रूप में बुला सकता है।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या: 1 /2019/49(1)/पैतीस-1-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्राम्य विकास, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, महिला कल्याण, सिंचाई, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, नगर विकास, पर्यावरण, पंचायतीराज, वन, गृह एवं वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0 शासन।

7- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

9- समस्त सदस्यगण।

10- नियोजन विभाग के प्रभागाध्यक्ष एवं राज्य योजना आयोग-1, 2

11- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल पालिसी स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।

12- सुश्री विशेष उप्पल, निदेशक, डब्लू0डब्लू0एफ - इण्डिया, लोधी रोड, नई दिल्ली।

13- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।

14- एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0।

15- राज्य योजना आयोग के नोडल अधिकारी।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।